



यूको बैंक

अंचल कार्यालय : चतुर्थ तल, ब्लॉक ए, मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स, न्यू डाक बंगला रोड, पटना - 1

सिक्विरिटाइजेशन तथा रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनांशियल एसेट्स एंड इनफॉर्मेटिव ऑफ सिक्विरिटी इंटरस्ट एक्ट, 2002 के अधीन

नीलामी द्वारा बिक्री की सूचना

जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अधीन मांग नोटिस जारी की गई थी तथा उसके पश्चात् सरफेसी एक्ट की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफेसी एक्ट की धारा 13(4) के अधीन बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों को कब्जे में लेने के बाद प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है जिसे नीचे दिए गए सॉक्षिप्ट ब्योरे के अनुसार कॉलम नं०-6 में अंकित जगहों में नीचे दी गई तारीख को 11.00 बजे पुर्वाह्न सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा:

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम तथा बेची जाने वाली संपत्ति का पता	संपत्तियों का विवरण (पूरे ब्योरे के साथ)	आरक्षित राशि	अग्रधन की राशि (रूपये में)	बिक्री की तारीख/नीलामी का स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	सासाराम शाखा मेसर्स त्रीदेव इंटरप्राइजेज, प्रो०-श्री सुदर्शन तिवारी, पिता-श्री नन्द किशोर तिवारी, नोखा	सम्पत्ति का पूरा भाग, जमीन का प्लॉट नं०-5169, थाना नं०-441, खाता नं०-1029, मौजा-नोखा, क्षेत्र-15 डीसीमल (श्री नन्द किशोर तिवारी के नाम से), चौहद्दी:- उत्तर-वेण्डर, दक्षिण-राधा चौधरी, पुरब-आरा सासाराम रोड, पश्चिम-रजनी सिंह।	रु. 9.00 लाख	रु. 45,000.00	09.07.11/ अंचल कार्यालय पटना
2.	दरभंगा शाखा (क) मेसर्स मौर्य ध्वज एग्रोटेक प्रा० लि०, डाइरेक्टर- श्री मनोज कुमार यादव, 23-बी, डोनर इंडस्ट्रीयल एरिया, गंगा सागर, दरभंगा जमानतदार-श्री मिथिलेश कुमार, श्री सुखदेव प्रसाद यादव, श्रीमती विष्णु देवी, पति-श्री कृष्णा प्रसाद यादव डलवा, श्री हरिवंश राय, धुरैया, पी.एस.-मीनापुर, मुजफ्फरपुर (ख) श्रीमती विष्णु देवी, पति-श्री कृष्णा प्रसाद यादव	पूरे सम्पत्ति का भाग एवं टुकड़ा: (1) लीज जमीन एवं वहां पर निर्माण हो रहा कोल्ड स्टोरेज भवन डोनर इंडस्ट्रीयल एरिया, दरभंगा में प्लॉट नं०-23-बी पर अवस्थित है, क्षेत्र-1.5 एकड़, खेसरा नं०-23, 13, एवं 14(भाग), मौजा-रामपुर, कशीम एवं मालपट्टी, थाना नं०-502 एवं 503, पंजीकरण उप-जिला एवं जिला-दरभंगा, चौहद्दी:-उ०-खेसरा नं०-26, 13, एवं 14(भाग), द०-नीलम एम्प्लेस, पु०-इंडस्ट्रीयल एरिया रोड, प०-इंडस्ट्रीयल एरिया रोड। (2) जमीन का क्षेत्र-131 डीसीमल, खेसरा नं०-1133, खाता नं०-129, थाना नं०-583, मौजा-मजलिशा मधो अलिश छपरा, पी.एस.-मीनापुर, पंजीकरण उप-जिला एवं जिला-मुजफ्फरपुर, चौहद्दी:-उ०-शशि भुषण शर्मा, द०-सुरजदेव राय, पु०-सिवान रामपुर हरि, प०-दिनेश राय। (3) जमीन का क्षेत्र-131 डीसीमल, खेसरा नं०-392, खाता नं०-41, मौजा-बरहन्दा, थाना नं०-525, पी.एस.-मीनापुर, पंजीकरण उप-जिला एवं जिला-मुजफ्फरपुर, चौहद्दी:-उ०-दिनेश राय, द०-गणेश राय, पु०-खेसरा नं०-473, प०-वकील पासवान। (4) जमीन का क्षेत्र-7 कट्टा 12 धूर, खेसरा नं०-197, खाता नं०-24, तौजी नं०-2123, मौजा-गोपालपुर डलवा, थाना नं०-331, पी.एस.-केवती, पंजीकरण उप-जिला एवं जिला-दरभंगा, चौहद्दी:-उ०-जगेश्वर यादव, द०-बाल कृष्ण यादव, पु०-जय नारायण, प०-शिव जी यादव। (5) जमीन का क्षेत्र-21 कट्टा 15 धूर, खेसरा नं०-128 एवं 198, खाता नं०-34 एवं 21, तौजी नं०-2123, मौजा-गोपालपुर डलवा, थाना नं०-331, पी.एस.-केवती, पंजीकरण उप-जिला एवं जिला-दरभंगा, चौहद्दी:-उ०-सत्य नाराण यादव, द०-अवध लाल राय, पु०-राम लखन यादव, प०-योगेन्द्र यादव। (1) जमीन एवं मकान का क्षेत्र-1 कट्टा 5 धूर 58 धुरकी, खेसरा नं०-883, खाता नं०-269, तौजी नं०-3331, वार्ड नं०-17, मौजा-हवेली दरभंगा, थाना नं०-458 एवं 509, जमाबंदी नं०-186, पी.एस.-लहेड़ीया सराय, पंजीकरण उप-जिला एवं जिला-दरभंगा, चौहद्दी:-उ०-6' लेन, द०-भोला साहू, पु०-लक्ष्मी देवी, प०-नगरपालीका रोड।	रु. 245.00 लाख	रु. 12,25,000.00	11.07.11/ दरभंगा शाखा
			रु. 21.00 लाख	रु. 1,05,000.00	11.07.11/ दरभंगा शाखा

नियम तथा शर्तें:

- नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोली लगाने वाले को यूको बैंक के पक्ष में आहरित तथा कॉलम नं०-5 में अंकित शाखा पर देय भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट के माध्यम से की लौटाने योग्य अग्रधन की राशि (इएमडी) जमा करनी होगी। उक्त इएमडी को दिनांक **06.07.2011** तक बैंकिंग कार्यसमय के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा। सफल बोली लगानेवालों के मामले में उक्त जमा राशि को समायोजित किया जाएगा। नीलामी द्वारा बिक्री का संचालन नियुक्त एजेंट द्वारा किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार या रद्द करने या नीलामी द्वारा की जाने वाली बिक्री को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- उपर उल्लिखित संपत्ति को आरक्षित राशि से कम में नहीं बेचा जाएगा।
- यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो बोली में सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य का प्रस्ताव देने वाले सफल बोली लगाने वाले को विक्रय मूल्य की बोली लगाई गई राशि (इएमडी सहित) का 25% उसी दिन प्राधिकृत अधिकारी के पास तुरंत जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संपत्ति को अब से पुनः बेचा जाएगा।
- सफल बोली लगाने वाले को बोली लगाई गई राशि का शेष 75% बिक्री के पुष्टीकरण की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले यूको बैंक के पक्ष में आहरित तथा अंकित शाखा पर देय भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करना होगा।
- निर्धारित अवधि यानी बिक्री के पुष्टीकरण की तारीख से 15 दिनों में बोली लगाई गई राशि की शेष राशि के 75% के भुगतान करने में चूक होने पर जमा की गई राशि (इएमडी सहित बोली लगाई गई राशि का 25%) को जब्त कर लिया जाएगा एवं संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा तथा संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा या बाद में बेच कर प्राप्त की जाने वाली राशि के किसी भी अंश पर चूककर्ता खरीददार का कोई दावा नहीं रहेगा।
- बैंक द्वारा बिक्री का पुष्टीकरण किए जाने तथा भुगतान की शर्तों का अनुपालन किए जाने कि स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी बिक्री के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्विरिटाइजेशन एक्ट, 2002 में निहित नियमों के अनुसार बैंक के विनिर्दिष्ट फार्मेट में खरीददार के पक्ष में अचल संपत्ति का बिक्री प्रमाणपत्र/चल संपत्ति का बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
- संपत्ति "जहां है जैसा है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर बेची जाएगी तथा सिक्विरिटाइजेशन एक्ट, 2002 में निर्धारित शर्तों के अधधीन होगी।
- इच्छुक पार्टियां/ बोली लगाने वाले नीलामी द्वारा बेची जाने वाली संपत्ति का निरीक्षण बैंकिंग कार्यसमय के दौरान कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें उपर उल्लिखित की गई इएमडी की पावती की प्रति के साथ लिखित अनुरोध के माध्यम से हमारी अंकित शाखा के प्रबंधक से संपर्क करना होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोली लगाने वाले को संपत्ति का सांकेतिक कब्जा सौंपा जाएगा। सफल बोली लगानेवाले को विशेष रूप से भौतिक कब्जा, वाहन व्यय, रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्ट्याम्प ड्यूटी, कर, सांविधिक बकाया, जो भी लागू हो, के लिए देय सभी प्रभार का वहन करना होगा।
- बिक्री/नीलामी बैंक द्वारा पुष्टीकरण के अधधीन है।
- किसी भी प्रभार, लियन, भार, संपत्ति कर या नीलामी के लिए प्रस्तावित/ नीलामी की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी को भी देय किसी भी तरह की बकाया राशि के लिए प्राधिकृत अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
- यह उपर्युक्त ऋण के उधारकर्ता/गारंटीकर्ता को भी उपर्युक्त तारीख को नीलामी द्वारा बिक्री करने की नोटिस है यदि उनके द्वारा बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है। बिक्री की सूचना के व्याख्या के सम्बंध में अंग्रेजी में जारी नोटिस के कथन को सही माना जाएगा।

पटना

दिनांक : 08.06.2011

प्राधिकृत अधिकारी

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना

Size : H-24, W-16 = 24x16 = 384 Sq. cm.